भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 20
02 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: हरियाणा में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम

20. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा राज्य में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की कुल संख्या कितनी है, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऐसे भंडार खोलने पर कोई राजसहायता दी जा रही है, यदि हां, तो हरियाणा राज्य के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा खराब होने वाली वस्तुओं की शीत आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हरियाणा राज्य में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की जिला-वार कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) एवं (ग): सरकार विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है जिनके अंतर्गत हरियाणा सहित देश भर में शीघ्र नष्ट होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज घटक मांग/उद्यमी आधारित है जिसके लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% की दर पर और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50% की दर पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत की 35% की दर पर और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 1000 टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना के लिए योजना को कार्यान्वित करता है जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक के रूप में है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से और मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विकिरणन सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये अधिकतम अनुदान के अध्यधीन है। स्कीम के अंतर्गत स्टैंडएलोन कोल्ड स्टोरेज को शामिल नहीं किया गया है।

सरकार समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) की एक उप-स्कीम, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत कृषि उत्पाद के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों/भांडागारों के निर्माण/नवीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एएमआई योजना एक मांग आधारित, बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसमें प्रदान की गई सब्सिडी की दर पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% है और ये परियोजना की पूंजीगत लागत पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) शुरू की है। एआईएफ के तहत, कोल्ड स्टोरेज और भांडागारों की स्थापना सहित फसलोत्तर अवसंरचना के सृजन के लिए दिए गए आवधिक ऋण पर 2.00 करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त आवधिक ऋण और 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

रा.स.अता.प्र.सं.20

अनुबंध-1

हरियाणा राज्य में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की जिलेवार कुल संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	कोल्ड स्टोरेज की संख्या	गोदामों की संख्या
1.	अंबाला	8	31
2.	भिवानी	8	8
3.	चरखी दादरी	0	2
4.	फतेहाबाद	13	42
5.	फरीदाबाद	0	4
6.	गुरुग्राम	1	5
7.	हिसार	4	53
8.	झज्जर	1	7
9.	जींद	4	39
10.	कैथल	4	61
11.	करनाल	4	56
12.	कुरुक्षेत्र	35	63
13.	नूह	1	4
14.	नारनौल	4	9
15.	पलवल	2	13
16.	पंचकूला	2	0
17.	पानीपत	2	18
18.	रोहतक	3	20
19.	रेवाड़ी	1	5
20.	सिरसा	13	34
21.	सोनीपत	81	20
22.	वाई. नगर	15	14
	कुल	**206**	**508**

*****